न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नगर (डीग) राज०

(पीठासीन अधिकारी :अनुराग हरित आर ए एस)

दावा स० 07/13

दायरा दिनांक:05/07/13

1)भगवानी देवी

2)- शकुन्तला देवी

पुत्री नानकसिंह पुत्र अमर सिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम रामसिंहपुर पालकी तहसील नगर (वादिगण)

बनाम

1- मुस० रानीवाई बेबा नानकसिंह पुत्र लक्खों सिंह जाति सिख निवासी ग्राम रामसिहपुरपालकी तहसील नगर। व अन्य
(अप्रार्थी)

:आदेश:

दिनांक 23/07/2024

उपस्थित:
(अधिवक्ता प्रार्थी : श्री चरण सिंह)

दावा अन्तर्गत धारा 88-89 व 188 आर टी एक्ट

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य कुछ इस प्रकार से है। हाल आराजी खसरा नं. 543/0.52, 67 रक़बा 0.68 स्थित ग्राम रामसिंहपुर पालकी तहसील नगर जो पूर्व में वादी गण के पिता नानकसिंह पुत्र अमर सिंह के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी थी जिसपर वह अपने जीवनकाल तक खातेदार काश्तकार के रूप में काविज रहकर काश्त करता रहा था।

वादनीगण के पिता नानकसिंह पुत्र अमर सिंह को देहान्त कई वर्ष पूर्व हो चुका है। जिसके देहान्त होने के पश्चातु वादनीगण एवं वादनीगण की माता जूडीवाई नानकसिंह के स्थान पर आराजी मृतदा किया पर बहेसियत काविज खातेदार काश्तकार के रूप में रहकर काश्त करने लगे। वादनीगण की माता जूडीवाई का कई वर्ष पूर्व देहान्त हो चुका है। उसके देहान्त होने के पश्चात् वादनीगण बहिस्ता बराबर आराजी मुतवादिया पर काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है, अब भी मौके पर वादनीगण का ही कब्जा व काश्त है। प्रतिवादीगण असल का वादनीगण के पिता नानकसिंह पुत्र अमर सिंह का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है बल्कि प्रतिवादीगण नं.-2 लगायत 8 के पिता व प्रतिवादीगण नं 1 के पति नानकसिंह पुत्र लक्खो सिंह है तथा वह फर्जी तरीके पर वादनीगण के पिता नानकसिंह पुत्र अमर सिंह बनकर आराजी मुतवादिया को हडपना चाहते हैं। जिसके लिए उसने आराजी के अतिरिक्त आराजी खसरा नं. 67 रक़बा 0.68 का फर्जी बयनामा नानकसिंह पुत्र अमरसिंह बनने के लिए ताराचन्द के हक मैं तस्दीक कराया था जिसपर वादनी- गण के चाचा होती सिंह ने

ताराचन्द बगै० के खिलाफ एक एफ.आई.आर. थाना सीकरी पर दर्ज करायी थी। तथा इस सम्बन्ध में पूर्थिना-पत्र भी न्यायालय एम जे एम डीग में पेश किया था। जिसमें की न्यायालय एम.जे. एमद्वारा प्रथम दृष्टया ताराचन्द बगै० के लिाफ धारा 420 आइ०पी०सी० का अपराध मानते हुए प्रसंज्ञान लिया गया इसके भी अतिरिक्त इसी नानकसिंह पुत्र लक्खो सिंह ने आराजी खसरा नं 120, 121, 122 के सम्बन्ध में ग्राम रामसिंहपुर पालकी के पेटला पुत्र उम्मेद नामक व्यक्ति से मिलकर पेटला के हक मैं फर्जी इकवाल दावा पेश कर उक्त नम्वरान की डिक्री पेटला के हक में करा दी जिसकी जानकारी होने पर वादनीगण की माता जूहीवाई को राजस्व अपील अधिकारी महोदय भरतपुर के न्यायालय में अपील पेश की जिसपर माननीय न्यायालय आर. ए. ए. भरतपुर द्वारा अपील स्वीकार की जाकर पेटला के हक में की गई डिग्री व फैसले को निरस्त कर दिया।

इस प्रकार उक्त सारी परिस्थितियों को से यह साबित है कि प्रतिवादीगण नं.-2 लगायत 8 के पिता व प्रतिवादनी नं--। के पति नानकसिंह पुत्र लक्खो सिंह की नीयत हमेशा से वादनीगण के पिता नानकसिंह पुत्र अमर सिंह की आराजी मुतवादिया की खातेदारी एवं काश्तकारी को हड़पने की रही है।प्रतिवादीगन का वादनीगण की कब्जेकाश्त एवं खातेदारी से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है न ही वे नानकसिंह पुत्र अमर सिंह के वारिस हे किन्तु फिर भी उन्होंने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर पोसीदे तरीके पर आराजी मुतवादिया का नामान्तकरण बिना किसी कानूनी अधिकार के अपने हक मैं तस्दीक करा लिया और आराजी सुतदा विया से सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया जबकि न तो इस सम्बन्ध में राजस्व ऐजेन्सी द्वारा कोई जांच की गई न वादनीगण को सुनवाई का मौका प्रदान किया गया बल्कि सारी कार्यवाही एक्त पक्षीय तौर पर पोसीदें तरीके से की गई जो कतई गलत है तथा वादनीगण के आराजी मुतवादिया से सम्बन्धित खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव डालने की नीयत से की गई है। जिसके कायम रहने से वादनीगण की सख़्त हक तलफी है ऐसी सूरत में वादनी- गन स्वयं को आराजी मुतदा विया की खातेदार काश्तकार घोषित करापाने की अधिकारणी हैं।

प्रतिवादीगण असल का वादनीगण के कब्जे काश्त एतं खातेदारी की आराजी मुतदा विया से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है किन्तू फिर भी वह अपने नाम का गलत इन्द्राज के आधार पर वादनीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी आराजी मतदाविया में हस्तक्षेप कर रहे है और प्रति० गण ने दिनांक 5-2-94 को ग्राम में स्पष्ट घोषणा कर दी है कि हम प्रति० गण अपने नाम के गलत इन्द्राज काश्त के आधार पर आराजी मृतदा विया पर जवरन कब्जा करके काश्त करेंगे और आराजी मुतवादिया को दीगर शक्सों को रहन वय मुन्तविल कर देगें। इस प्रकार यदि प्रतिवादीगण आने इत इरादे में कामयाव हो गये तो वादनीगण को आराजी मुतवादिया के सम्बन्ध में अपूर्णनिय क्षति पहुँचेगी जिसकी क्षेतिपूर्ति किसी प्रकार से नहीं हो सकेगी ऐसी सूरत में वादनीगण प्रतिवादीगण असल को जरिए डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पावन्द करा पाने की अधिकारी हैं।वाद की उत्पत्ति दिनांक 5-2-94 को प्रतिवादी गण द्वारा वादनीगर्ष के कब्जे कापत एवं खातेदारों की आराजी मुतवाडिया में हस्तक्षेप करने की घोषणा करने पर व नीज दिनांक 8-2-94 को आराजी मुतवादिया से सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर प्रति० गण के नाम हो रहे आराजी से सम्बन्धित गलत इन्द्राज काश्त का इल्म होने से व मुकाम ग्राम रामसिंह पुलपालकी तहसील नगर क्षेत्राधिकार अदालत हाजा पैदा हुई।

अतः यह है कि दावा वादनी विरुद्ध प्रतिवादी घोषित किया जावे के वादनी गण हाल आराजी खसरा नं. 543रक़बा 0.52 खसरा 92 0.11,खसरा न 67 रक़बा 0.68 स्थित ग्राम रामसिंह पुर पालकी तहसील नगर पर बहेसीयत खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज है व वर्तमान

में जो इन्द्राज हो रहे है वह कलमजन किये जाये ।यह है कि प्रतिवादीगण को जरिए डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पावन्द फर्माया जावे कि वे वादनीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी आराजी मुत० स्थित ग्राम रामसिंह पुर पालकी तहसील नगर में किसी प्रकार की मजहहमत व मदाउँते न करें व आराजी सुतदा विया को किसी को रहन वय मुन्तविल न करें।

प्रतिवादी न 1 रानीबाई बेवा नानक चन्द पुत्र लख्खा सिह जाति सिख निवासी ग्राम रामसिहपुर पालकी की और से जबाब दावा में वादीगण के समस्त कथन अस्वीकार किए है व कथन किया गया कि वादनीगण मृतक नानकसिह की पुत्री नही है वल्कि होतू सिह की लड़कियाँ है इसलिए वादनीगण के दावा पेशा करने का अधिकार नही है।आराजी खसरा नं. 543/0-52 ऐयर खासरा नं. 67/0-68 व 210/0-11 ऐयर वा के ग्राम रामसिहपुर पालकी प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी का रक़बा है जिस पर प्रतिवादीगण का क़ब्ज़ा है वादीगण का इससे कोई सम्बन्ध नही है तथा आराजी खसरा नं. 543/0-52 ऐयर प्रतिवादीगगण द्वारा दि० 16-7-95 को अलादीन वल्द हैसमत काम मेव निवासी लामडा तहसील पहाडी को रजि. वसीयतनामा द्वारा वय कर दिया गया है।अतः दावा वादनीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जाये।

न्यायालय सहायक कलेक्टर, नगर द्वारा निर्णय दिनांक 27.01.2001 के अनुसार वादनीगण को आ० ख० 543 रक़बा 0.52 ,67/ 0.68, 92/0.11 वाके रामसिंहपुर पालकी का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया तथा वादग्रस्त आराजी पर वादनीगण को बहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज करने के आदेश दिये गये। जिसकी अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर यहाँ हुई । जिसका निर्णय उनके द्वारा दिनांक 22/11/02 कर दिया गया। पत्रावली न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर कैम्प डीग के निर्णय दिनांक 22.11.02 के उपरांत पुनः न्यायालय हाजा में प्राप्त हुई ।निर्णय अनुसार उभय पक्ष की पुनः सुनवाई में साक्ष्य को समुचित अवसर देकर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रोषित की है तथा उभय पक्ष को दि. 23.12.02 से न्यायलय हाजा मे उपस्थित रहने हेतु पाबंद किया गया था।

वाद में तनकियात इस प्रकार से विचरित की गई

1) आया वादीगण आ ख० न 543 /0.52 ,92/ 0.11 ,67/ 0.60 वाके ग्राम रामसिंहपुर पालकी के खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी है। (वादी)

2) आया वादीगण प्रतिवादी गण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने का अधिकारी है। (वादी)

3) आया वादनीगण मृतक नानक सिंह की पुत्री नहीं है बल्कि होतू सिंह की लडकिया है। (जिम्मे प्रतिवादी)

4) आया आ० ख० १० 543 को प्रतिवाडीगण ने डिलरक 16785 को 0.52 अल्लादीत वल्ड हसमत कोम मेव को रजिस्टर्ड वसीयतनामा से बय कर दी है जिसका वाद पर क्या प्रभाव है।

5) आया प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी यथावत रहेगा

6) दादरसी

अतिरिक्त तनकीयात

7) आया यह आराजी पूर्व में नानकसिहं पुत्र अमरसिहं के कब्जे मे होना स्वीकार है लेकिन नानक सिहं पुत्र अमरसिहं वादियागण का पिता होना अस्वीकार है? – (जिम्मे प्रतिवादी)

(8) आया वादनीगन की माता का नाम गंगाबाई था जुडीबाई नाम की कोई भी औरत रामसिहंपुर पालकी में नहीं थी ? (जिम्मे प्रतिवादी)

(9) आया विवादित आराजी व.न. 67, व 543 ज़रिए रजिस्टर् बयनामा प्रतिवादीगण 18 व 19 क्रय की थी और क़ाबिज़काश्त चले आ रहे है ? - जिम्मे प्रति.

(10) आया जुडीबाई उर्फ गंगादेवी नाम की कोई औरत व नानकसिहं पुत्र लक्खो सिहं नाम का कोई व्यक्ति ग्राम रामविहंपुर पालकी में नही था (ज़िम्मे प्रतिवादी)

हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया। वर्तमान रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण की फ़ोत माताजी श्रीमती भगवानी विवादित आरज़ी खसरा नंबर 92/ 0.11 के आधे हिस्से पर क़ाबिज़ काश्त है। वाद में वर्णित अन्य खसरा नंबर पर अन्य खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। वाद में वर्णित खसरा न67 का बेचान ताराचंद को किया जा चुका है तथा इस संबंध में दायर परिवाद का निस्तारण सक्षम न्यायालय माननीय सीजे एंड जेएम द्वारा दिनांक 30/9/97 को किया जा चुका है। खसरा न 543 का विक्रय पत्र अलादीन पुत्र हसम्मल मेव को दिनांक 16/7/94 को किया किया जा चुका है जिसका नामा स 332 से अमल जमाबंदी में किया जा चुका है। पंजीबद्ध विक्रय पत्र में क़ब्ज़ा सँभलाने की बात दोनों पक्षकारों द्वारा किया को स्वीकार किया गया है। जिस पर संदेह किया जाना उचित नहीं है। यह दस्तावेज़ लोक दस्तावेज़ की श्रेणी में सम्मिलित हैं। अतः प्रथम तनकी प्रार्थिगण के विरुद्ध तय की जाती है।

प्रथम तनकी वादिगण के विरुद्ध तय किए जाने से अर्थात् प्रतिवादिगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी नहीं है।स्थायी निषेधाज्ञा के तीनों घटक यथा प्रथम दृष्टया केस, अपूर्णनीय क्षति , सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने के कारण वादी द्वितीय तनकी में वर्णित अनुतोष पाने की अधिकारी नहीं है। मृतक श्री नानक सिंह के विधिक वारिस सक्षम न्यायालय से तय किए जा सकते है इसके श्रवण अधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त नहीं है । वादिगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज़ी साक्ष्य भी पत्रावली पर अपने इस तनकी के समर्थन में प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः तनकी संख्या 3 वादिगण के विरूद्ध तय की जाती है ।सर्वप्रथम तनकी में ही तय किया जा चुका है कि जब बयानामा आज दिनांक तक सक्षम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित नहीं किया गया है । अतः तनकी संख्या 4 वादिगण के विरूद्ध तय की जाती है । तनकियात संख्या एक लगायत चार वादी गण के विरूद्ध तय किए जाने से तनकी संख्या 6 प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की जाती है । तनकी संख्या 7 लगायत 10 के संबंध में क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं है।

:आदेश:

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी ख़ारिज किया जाता है। फ़ैसला सरेइजलास सुनाया गया दिनांक 23/07/2024 को मेरे द्वारा टंकण कराया गया।पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाख़िल दफ़्तर हो।

अनुराग हरित (आर० ए० एस०)
उपखण्ड अधिकारी नगर (डीग)